संख्या A-32013/2/2013-SRA (Vol.III) (368618)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
स्थापना-III
****

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त, 2023

सांकेतिक रिक्ति परिपत्र

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण एवं अनुसंधान प्रभाग में **उप निदेशक** (भंडारण एवं अनुसंधान), वेतन मैट्रिक्स स्तर-11, के 08 (आठ) पदों को प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर भरने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद, अर्हता शर्तों आदि का ब्यौरा विभाग की वेबसाईट www.dfpd.nic.in (समाचार और घोषणा) पर देखा जा सकता है।

2. केवल उन्हीं अधिकारियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हों और उनके साथ निम्नलिखित संलग्न हो:-

(i) जीवन वृत्त* (वेबसाईट www.dfpd.nic.in पर उपलब्ध है) के साथ नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन।

(ii) पिछले 5 वर्षों की एसीआर/एपीएआर की प्रतियां, जिसका प्रत्येक पृष्ठ उस अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित हो, जिसका रैंक अवर सचिव से कम न हो।

(*) वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफॉर्मा के अनुसार।

3. पात्र अधिकारी, जिन्हें उनके चयन की स्थिति में तुरंत कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के जारी/प्रकाशित किए जाने के 60 दिनों के भीतर अवर सचिव (ई-III), कमरा नंबर 295, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 को सीधे भेजे जाएं।

4. अनुरोध है कि इस रिक्ति परिपत्र का व्यापक प्रचार किया जाए और कृपया परिपत्र को आपके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पी.एस.यू./स्वायत्त औरवैधानिक संगठनों के मध्य प्रसारित किया जाए।

संगीत कुमार

(संगीत कुमार)
अवरसचिव, भारत सरकार
दूरभाष:011-23073798

वितरण:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक

संख्या A-32013/2/2013-SRA (Vol.III) (368618)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य औरसार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य औरसार्वजनिक वितरण विभाग
(स्थापना–III)

विस्तृत रिक्ति परिपत्र

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के भंडारण एवं अनुसंधान प्रभाग में उप निदेशक (भंडारण एवं अनुसंधान) के 08 पद, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर भरे जाने हेतु पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद का ब्यौरा, पात्रता की शर्तें आदि **अनुबंध-1** में दी गई हैं।

2. केवल उन्हीं अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जिनके आवेदन उचित माध्यम से भेजे गए हों और जिसके साथ निम्नलिखित संलग्न हों:-

(i) जीवनवृत्त (**अनुबंध-2** में दिये गये प्रपत्र के अनुसार) - प्रमाणन भाग नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा भरा जाए और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाए। जीवनवृत्त और सभी सहायक दस्तावेजों का प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए, जो अवर सचिव रैंक से कम न हो।

(ii) पिछले पांच (5) वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की फोटोप्रतियां, जिसका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित होना चाहिए, जो अवर सचिव रैंक से कम न हो।

3. उपयुक्त और पात्र अधिकारियों तथा जिनका चयन होने की स्थिति में उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन रोजगार समाचार में इसविज्ञापन केप्रकाशित होने की तारीख से **60 दिन** की अवधि के भीतर, अवर सचिव (ई-III), कमरा नंबर 295, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को सीधे भेजे जाएं।

4. आवेदनों की अग्रिम प्रति अथवा निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन अथवा जिन आवेदनों के साथ अपेक्षित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। **बेरोजगार और निजी क्षेत्रों में कार्यरत अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। अत: उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।**

****

<u>अनुबंध-1</u>

क) **पद का नाम :** उप निदेशक

ख) **रिक्त पदों की संख्या :** 08 (आठ)

ग) **पद का वर्गीकरण :** समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय पद

घ) **वेतनमान :** वेतन मैट्रिक्स का स्तर-11

ङ.) **आयु सीमा :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

च) **प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) हेतु पात्रता शर्तें :**

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -

(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृशपद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये), 5400 रुपये के ग्रेड वेतन (वेतन मैट्रिक्स स्तर-10) में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपये), 4800 रुपये के ग्रेड वेतन (वेतन मैट्रिक्स स्तर-8) में नियमित आधार पर उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की हो; तथा

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-

<u>अनिवार्य अर्हता</u> : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पादप विकृति विज्ञान या जीव विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पादप विकृति विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; तथा

(ii) किसी सरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों में खाद्यान्नों के संरक्षण या भंडारण से संबंधित पहलुओं सहित शिक्षण या अनुसंधान या विस्तार कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग (Feeder Cadre) के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।